सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 113 /सो.आ.नि.– 3/501/2020
दिनाँक: 16 जून, 2020

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़, कासगंज एवं सहारनपुर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत समवर्ती सोशल आडिट के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–86/सो0आ0नि0–3/501/2020 दिनांक 04–06–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जिलाधिकारी को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र द्वारा जनपदों में कार्यरत ब्लाक सोशल आडिट समन्वयक (BSAC) के माध्यम से प्रत्येक कार्य दिवस को अपने कार्यक्षेत्र की एक ग्राम पंचायत में समवर्ती सोशल आडिट हेतु कार्यस्थलों का सत्यापन कर रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप 01 एवं 02 पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी तथा संकलित सूचना प्रत्येक शनिवार को संलग्न प्रारूप पर सोशल आडिट निदेशालय में भेजने हेतु अवगत कराया गया था। यह रिपोर्ट सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त (मनरेगा) एवं योजना की समीक्षा हेतु कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 में तैनात नोडल अधिकारियों तथा महात्मा गांधी नरेगा, राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ को ई–मेल के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु भेजा जाना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि निदेशालय के पत्रांक–86/ सो0आ0नि0–3/501/2020 दिनांक 04–06–2020 के क्रम में की जा रही समवर्ती सोशल आडिट की रिपोर्ट

निर्धारित प्रारूपों पर जनपद स्तर पर सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त (मनरेगा) एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को, संलग्न सूची में दिए गए ई–मेल पर उपलब्ध कराने एवं साप्ताहिक संकलित प्रगति सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 एवं महात्मा गांधी नरेगा, राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ को भी ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(योगेश कुमार)
निदेशक।

15.06.2019

पत्रांकः– /सो0आ0नि0– /2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2– सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3– सम्बन्धित उपायुक्त (मनरेगा), उ0प्र0।
4– सम्बन्धित नोडल अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5– महात्मा गांधी नरेगा, राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, उ0प्र0।
6– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।

(योगेश कुमार)
निदेशक।

फॉर्मेट-01

महात्मा गांधी नरेगा योजना
सोशल आडिटः परीक्षण के बिन्दु/ड्राफ्ट प्रतिवेदन

जनपद	विकासखण्ड .....
ग्राम पंचायत	निरीक्षण की तिथि.....
परियोजना का नाम	
परियोजना की लागत ..... परियोजना पर व्यय	
सत्यापित श्रमिकों की सं०	श्रमिकों को भुगतान (साप्ताहिक/पाक्षिक)

क्र० सं०	परीक्षण के बिन्दु	विकल्प	अभियुक्ति(विवरण सहित)
1	जॉब कार्ड धारकों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध हैं अथवा नही? (जॉब कार्ड उपलब्ध न होने पर उनका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं)	हाँ/ नहीं	
2	क्या श्रमिकों द्वारा काम की मांग की जा रही है और उन्हें मांग के आवदेन की कोई रसीद दी जा रही है अथवा नही? (जॉब कार्ड सहित उनका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं)	हाँ/ नहीं	
3	मस्टर रोल को वर्कसाइट पर भरा जा रहा है अथवा नही? (कम से कम 05 मजदूरों के परीक्षण का विवरण उपलब्ध कराएं)	हाँ/ नहीं	
4	क. मौके पर कार्यरत मजदूर की सं०		
	ख. मस्टररोल पर उपस्थिति दर्ज श्रमिकों की सं० (क एवं ख में भिन्नता होने पर एमआर सं० सहित विवरण उपलब्ध कराएं)		
5	परियोजना के लिए सूचना बोर्ड उपलब्ध है अथवा नही? (सूचना बोर्ड उपलब्ध न होने पर उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं)	हाँ/ नहीं	
6	श्रमिकों को मस्टररोल में जितनी मजदूरी दर्शित है उतनी प्राप्त हो रही है अथवा नही? (यदि नहीं तो एमआर सं० सहित विवरण उपलब्ध कराएं)	हाँ/ नहीं	
7	प्रथमदृष्टया कार्य की गुणवत्ता (असंतोषजनक होने पर विवरण वर्तमान स्थिति की फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराएं)	संतोषजनक/असंतोषजनक	
8	कार्यस्थल पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध रहती है अथवा नही?	हाँ/ नहीं	

फॉर्मेट-02

महात्मा गांधी नरेगा योजना
सोशल आडिटः निष्कर्ष एवं संतुतियाँ

जनपद	विकासखण्ड .....
ग्राम पंचायत	निरीक्षण की तिथि.....
सत्यापित श्रमिकों की सं०	

क्र० सं०	परीक्षण के बिन्दु	प्रकरणों की सं०	अभियुक्ति(विवरण सहित)
1	जॉब कार्ड धारकों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध न होना।		
2	श्रमिकों को काम की मांग की रसीद न दिया जाना।		
3	मस्टर रोल को वर्कसाइट पर न भरा जाना।		
4	मौके पर कार्यरत मजदूर एवं मस्टररोल पर उपस्थिति दर्ज श्रमिकों की सं० में अंतर।		
5	परियोजना के लिए सूचना बोर्ड उपलब्ध न होना।		
6	श्रमिकों को मस्टररोल में दर्शित मजदूरी के अनुसार भुगतान न होना।		
7	प्रथमदृष्टया कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक न होने वाली परियोजनाएं।		
8	कार्यस्थल पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध न होने वाली परियोजनाएं।		

फॉर्मेट- साप्ताहिक रिपोर्ट

महात्मा गांधी नरेगा योजना

सोशल आडिटः निष्कर्ष एवं संतुतियाँ

जनपद	विकासखण्डों की सं० जहाँ सप्ताह में निरीक्षण किया गया .....
ग्राम पंचायतों की सं०	निरीक्षण की अवधि (साप्ताहिक) .....

कुल सत्यापित श्रमिकों की सं० .....

कुल सत्यापित कार्यों की सं० .....

क्र० सं०	परीक्षण के बिन्दु	प्रकरणों की सं०	अभियुक्ति(विवरण सहित)
1	जॉब कार्ड धारकों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध न होना।		
2	श्रमिकों को काम की मांग की रसीद न दिया जाना।		
3	मस्टर रोल को वर्कसाइट पर न भरा जाना।		
4	मौके पर कार्यरत मजदूर एवं मस्टररोल पर उपस्थिति दर्ज श्रमिकों की सं० में अंतर।		
5	परियोजना के लिए सूचना बोर्ड उपलब्ध न होना।		
6	श्रमिकों को मस्टररोल में दर्शित मजदूरी के अनुसार भुगतान न होना।		
7	प्रथमदृष्टया कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक न होने वाली परियोजनाएं।		
8	कार्यस्थल पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध न होने वाली परियोजनाएं।		